पंजाब राज्य व अन्य

बनाम

हरभजन सिंह व अन्य

31 अक्टूबर, 2007

[तरूण चटर्जी और पी. सदाशिवम न्यायाधिपति]

सेवा कानून-पेंशन-हकदारी-भूतपूर्व सैनिक-सिविल पक्ष पर पुनर्नियोजन-कर्मचारी को रक्षा पक्ष से पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त करना- सिविल पक्ष पर पेंशन के लिए दावा- सेवा की अपेक्षित अवधि को पूरा न करने के आधार पर अस्वीकार-रक्षा सेवा की गणना से इनकार -उच्च न्यायालय ने पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया- अपील पर, निर्धारित: कर्मचारी वैधानिक नियमों के विपरीत पेंशन का हकदार नहीं है - रक्षा सेवा को आपातकालीन नियमों के मद्देनजर पेंशन के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जा सकता है क्योंकि कर्मचारी ने आपातकालीन अवधि से पहले रक्षा सेवा में नौकरी शुरू कर दी है। - पंजाब सिविल सेवा नियम, । 970-rr. 17. 3, 17.4 और 17.5- पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 (पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी (कन्सेशन) रूल्स, 1965)

प्रत्यर्थी संख्या **1, 13.9.1961** को एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, उन्हें शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें राज्य शिक्षा विभाग में जे.बी.टी. शिक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। उन्होंने रक्षा से ग्रेच्युटी प्राप्त की थी और जॉइनिंग के समय रक्षा पेंशन भी ले रहे थे; उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपना पेंशन मामला शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सिविल साइड पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा दस साल से कम थी और उनके द्वारा प्रदान की गई रक्षा सेवा की गिनती सिविल पक्ष में में नहीं की जा सकती। प्रत्यर्थी संख्या **1** ने अपनी रक्षा सेवा की गिनती करके पेंशन का अनुतोष मांगते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी।

अपील में, अपीलार्थी -राज्य ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी पेंशन का हकदार नहीं था क्योंकि उसके पास आवश्यक वर्षों की सेवा नहीं थी; और यह कि उनकी रक्षा सेवा को पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकालीन नियम, **1965 (**पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी रूल्स, **1965)** के आधार पर नहीं गिना जा सकता है क्योंकि वह **1961** में सेना सेवा में शामिल हुए थे

अर्थात आपातकाल की अवधि से पहले यानी **26.10.1962** से **9.1.1968** तक।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. पंजाब सिविल सेवा नियम, **1970** के नियम **7.13, 7.14** और **7.15** में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी केवल तभी पेंशन प्राप्त कर सकता है जब उसका प्रारंभिक वेतन और पेंशन सेवानिवृत्ति के समय उसके मूल वेतन से अधिक न हो। इसके अलावा, यदि पिछली सेवा को गिना जाता है, तो पेंशन स्थगित रहती है। यह यह भी दर्शाता है कि यदि तीन महीने में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बाद के चरण में ऐसा नहीं कर सकता है। प्रदान की गई अवधि को सेवा में केवल तभी गिना जाएगा जब व्यक्ति ने पेंशन अर्जित नहीं की है, भुगतान किया गया कोई बोनस या ग्रेच्युटी राज्य सरकार को वापस कर दी जाती है। जाहिर है, प्रतिवादी को पेंशन मिल रही थी। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उन्हें डी.सी.आर.जी. (ग्रेच्युटी) मिली। **[** पैरा **10] [758-**डी, ई, एफ

2. आपातकालीन नियम, **1965** के अनुसार, सेवा की गणना केवल तभी की जा सकती है जब व्यक्ति आपातकाल के दौरान शामिल हुआ हो, न कि इससे पहले या बाद में। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी जो

13.09.1961 को सिपाही के रूप में सेना में शामिल हुआ था, पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकालीन नियम, **1965** (पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी रूल्स, **1965)** के प्रावधानों के लाभों का हकदार नहीं है, जब **26.10.1962** आपातकाल को लगाया गया था। वह सिविल सेवक के रूप में सेवा करने पर अपनी **"**सैन्य सेवा**"** को पेंशन के लिए गिनने का हकदार नहीं है, जब उसका मामला **"**सैन्य सेवा**"** की परिभाषा के भीतर नहीं आता है जो आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है। **[**पैरा **11] [759-**सी, डी**]**

राम जनम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [1], **[1994] 2** एससीसी **622;** चित्तरंजन सिंह चिमा व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य, **[1997] 11** एस. सी. सी. **447**[2], पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील सं. 2007 की 5065।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6126 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.03.2004 से।

अपीलार्थियों की तरफ से अजय पाल।

---

1 राम जनम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, [1994] 2 एससीसी 622

2 चित्तरंजन सिंह चिमा व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य, [1997] 11 एस. सी. सी. 447

शिखा रॉय पब्बी (एस. के. सभरवाल), विकास, आशा जी. नायर और अनिल कटियार प्रत्यर्थीओं की तरफ से।

निर्णय लेखक

पी सदाशिवम, न्यायाधिपति

(1) अनुमति दी गई।

(2) यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6126 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.03.2004 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने यहां प्रथम प्रत्यर्थी की रिट याचिका को अनुमति दी थी।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः

यहां प्रत्यर्थी नंबर 1, जो मैट्रिक पास था, 13.09.1961 को भारतीय सेना में सिपाही के रूप में शामिल हुआ। प्रत्यर्थी नं. 1 ने अपनी योग्यता में सुधार किया और ए.ई.सी. ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में एक साल का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, 12.10.1967 को शिक्षा प्रशिक्षक (हवलदार) के रूप में नियुक्त किया गया। वह 30.9.1987 को नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी जन्म तिथि 16.01.1944 है। सेवानिवृत्ति के समय उनकी आयु 43 1/2 वर्ष थी।। 10.5.1988 को,

रोजगार कार्यालय ने प्रत्यर्थी का नाम पंजाब शिक्षा विभाग में जे.बी.टी. शिक्षकों के पद के लिए प्रायोजित किया था। वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए लेकिन चयन समिति ने इस आधार पर उनके मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वह पद के लिए योग्यता पूरा नहीं कर रहे थे। प्रत्यर्थी के अनुसार, सेना में अपनी सेवा के दौरान उनके द्वारा अर्जित प्रशिक्षण को सरकारी निर्देशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के बराबर घोषित किया गया। दिनांक 9.8.1988 के पत्र द्वारा निदेशक लोक निर्देश (डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस) द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण, पंजाब को सूचित किया गया कि सिविल ट्रेडों के साथ सेवा ट्रेडों की शिक्षा की निर्देशिका और रक्षा सेवाओं के पंजीकरण के लिए गाइड (डायरेक्टरी ऑफ़ एजुकेशन ऑफ़ सर्विस ट्रेड्स सिविल ट्रेड्स एंड गाइड तो रजिस्ट्रेशन ऑफ़ डिफेन्स सर्विसेज ऍप्लिकैंट्स ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट) के अनुसार सेना शिक्षा कोर्प्स सिविल ट्रेड में एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के बराबर है सिविल व्यापार में। 29.8.1988 को, प्रत्यर्थी ने निदेशक लोक निर्देश (डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस) द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर अपने मामले पर विचार करने के लिए भर्ती समिति को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। 1.08.1992 को, जब शिक्षा विभाग, पंजाब ने फिर से विज्ञापन जारी करके जे.बी.टी. शिक्षकों के पद के लिए आवेदन

आमंत्रित किए। प्रत्यर्थी ने इसके लिए आवेदन किया और उनका चयन हो गया। 31.3.1994 को, प्रत्यर्थी को एक नियुक्ति पत्र मिला और वह 22.4.1994 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, लुधियाना में शामिल हो गया। शामिल होने के समय, वह अपनी रक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे थे और उन्हें अपनी रक्षा पेंशन निकालने की अनुमति थी। उन्हें 31.1.2002 को सेवानिवृत्त होना था। सेवानिवृत्ति से पहले, 10.10.2001 को, प्रत्यर्थी ने अपना पेंशन मामला ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पखोवाल जिला, लुधियाना (ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अफसर पखोवाल डिस्ट्रिक्ट लुधिअना) के माध्यम से महालेखाकार, पंजाब को प्रस्तुत किया।पंजाब के महालेखाकार ने पेंशन के लिए प्रत्यर्थी के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सिविल पक्ष में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा सात वर्ष, नौ महीने और नौ दिन जो 10 वर्ष से कम है और रक्षा में उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवा को सिविल सेवा में नहीं गिना जा सकता क्योंकि तीन साल से अधिक का अंतराल होता है। 31.8.2002 को, प्रत्यर्थी ने सेना में उसकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उसे सिविल पक्ष में ग्रेच्युटी और पेंशन देने की मांग का कानूनी नोटिस दिया। फरवरी, 2003 में, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर महालेखाकार, पंजाब के दिनांक 2.11.2001 के आदेश को रद्द करने और सेना में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की

गणना करने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने देव दत्त, एएसआई बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1996 (7) एसएलआर 807[3] में अपने निर्णय के अनुसार रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य को प्रत्यर्थी की पेंशन की फिर से गणना करने और छह महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

(3) हमने अपीलार्थियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय पाल और प्रथम प्रत्यर्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिखा रॉय पब्बी को सुना।

(4) अपीलार्थी पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी-जो 13.09.1961 को भारतीय सेना में सिपाही के रूप में शामिल हुआ था, वह पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकालीन नियम, 1965 (पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी रूल्स, 1965) के लाभों का हकदार नहीं है जब 26.10.1962 से 09.01.1968 तक आपातकाल घोषित किया गया था।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने 22.09.1994 से 31.01.2002 तक सिविल सेवक के रूप में 10 साल से कम सेवा प्रदान की है, वह पेंशन का हकदार नहीं है क्योंकि न्यूनतम

---

3 देव दत्त, एएसआई बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1996 (7) एसएलआर 807

योग्यता सेवा 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी जिसने प्रस्तुत किया है 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा देव दत्त बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा) में दिए गए फैसले के आधार पर रिट याचिका को अनुमति देना उचित नहीं था, जो तथ्यों और कानून में लागू नहीं है। वहीं दूसरी ओर, पहले प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी की सैन्य सेवा और पंजाब सिविल सेवा को देखते हुए, वह सिविल पक्ष पर पेंशन का लाभ दिए जाने का पात्र है। उनके अनुसार, देव दत्त के मामले में आदेश का पालन करने और महालेखाकार, पंजाब के दिनांक 02.11.2001 के संचार को रद्द करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से सही है, जिसमें उनके द्वारा सेना व पंजाब शिक्षा विभाग में प्रदान की गई सेवा को शामिल करने के प्रत्यर्थी के दावे को खारिज कर दिया गया था।

(5) हमने अभिवचनों के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस अपील के साथ दायर किए गए उपबंधों और अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) प्रथम प्रत्यर्थी के दावे को समझने के लिए, सेना के साथ-साथ पंजाब सिविल सेवा में उनकी सेवा के विवरण को दोबारा दोहराना उपयोगी होगा। जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, 13.09.1961 को वह भारतीय

सेना में सिपाही के रूप में शामिल हुए। एक वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उन्हें 12.10.1967 को शिक्षा प्रशिक्षक (ई.आई.) हवलदार के रूप में नियुक्त किया गया। 30.09.1987 को, वह 43 1/2 वर्ष की आयु में नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी जन्म तिथि 16.01.1944 है। यह भी विवादित नहीं है कि वह 1,057/- रुपये की पेंशन ले रहे थे और 23,870/- रुपये की डी.सी.आर.जी.भी प्राप्त कर रहे थे।

(7) 10.05.1988 को, पंजाब शिक्षा विभाग में जे.बी.टी. शिक्षक के पद के लिए प्रत्यर्थी का नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। हालाँकि उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं, दिनांक 09.08.1988 की कार्यवाही द्वारा निदेशक लोक निर्देश (डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस) ने उन्हें योग्य घोषित कर दिया। इसके बाद 29.08.1988 को उन्होंने निर्देश दिनांक 09.08.1988 के आधार पर अपने मामले पर विचार करने के लिए भर्ती समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जब शिक्षा विभाग, पंजाब ने जे.बी.टी. शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन के माध्यम से फिर से आवेदन आमंत्रित किया, तो प्रत्यर्थी ने इसके लिए आवेदन किया और 01.08.1992 को उनका चयन कर लिया गया। 31.03.1994 को, उन्हें एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया और वे 22.04.1994 को सरकारी प्राथमिक

विद्यालय, लुधियाना में शामिल हो गए। उपाबंध-पी4 से पता चलता है कि ज्वाइनिंग के समय, वह अपनी सेना पेंशन ले रहे था और उसे उन्हें निकालने की अनुमति भी थी। चूंकि प्रत्यर्थी को 31.01.2002 को सेवानिवृत्त होना था, इसलिए उन्होंने अपना पेंशन मामला 10.10.2001 को महालेखाकार को प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 02.11.2001 द्वारा, महालेखाकार ने उनके मामले को दो आधारों पर खारिज कर दिया 1) सिविल पक्ष पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा सात साल नौ महीने और नौ दिन थी, जो पंजाब सिविल सेवा नियमों के अनुसार 10 साल से कम थी; 2) रक्षा में प्रदान की गई सेवा को गिना नहीं जा सकता क्योंकि 1982 के सरकारी निर्देशों के अनुसार 3 साल से अधिक का अंतर है। जब उक्त आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई तो देव दत्त (सुप्रा) के मामले के अनुसरण में महालेखाकार के संचार को निरस्त कर आवश्यक निर्देश जारी किया गया।

(8) इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती नियम, 1982 (पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ़ एक्स-सर्विसमैन रूल्स, 1982) द्वारा शासित है। नियम 8 जो वेतन वृद्धि और पेंशन से संबंधित है, स्पष्ट रूप से कहता है कि आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त पूर्व सैनिक का वेतन पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के अध्याय VII के प्रावधानों के

अनुसार तय किया जाएगा।

(9) आइए अब हम पंजाब सिविल सेवा के प्रासंगिक प्रावधानों का सत्यापन करें। नियम, 1970। अध्याय VII पेंशनभोगियों के पुनः नियोजन से संबंधित है। इस अध्याय में भी हम नियम 7.13,7.14 और 7.15 से संबंधित हैं जो इसे इस प्रकार पढ़िएः

7.13 . एक सरकारी कर्मचारी जिसने मुआवजा पेंशन प्राप्त की है, यदि उसे पुनः नियोजित किया जाता है, तो वह अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी पेंशन को बनाए रख सकता है: बशर्ते कि यदि उसे सरकारी राजस्व से भुगतान किए गए पद पर फिर से नियोजित किया जाता है, तो पेंशन पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थगित रहेगी, यदि पेंशन की राशि और पुन: रोजगार पर प्रारंभिक वेतन सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले उसके मूल वेतन से अधिक है, अर्थात्, एक सरकारी कर्मचारी केवल इतनी पेंशन प्राप्त कर सकता है जितना कि उसका प्रारंभिक वेतन और पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके मूल वेतन के बराबर होगी। एक बार जब पेंशन की राशि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप तय कर दी जाती है, तो सरकारी कर्मचारी पेंशन में और कमी किए बिना अपने नए वेतनमान या किसी अन्य पैमाने या पद पर पदोन्नति में वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा; न ही छुट्टी के दौरान इस तरह से तय की गई पेंशन की राशि विभिन्न

होगी। हालांकि, यदि कोई पेंशनभोगी स्थायी या अस्थायी पद पर एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाले वास्तविक अस्थायी कर्तव्य के लिए पुन: नियोजित होता है, तो सरकार या, ऐसे मामलों में जहां पेंशन 40 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, वह प्राधिकरण जो उस प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है जिस पर पेंशनभोगी को नियोजित किया जाना है, पेंशन को पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, भले ही कुल वेतन और पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके मूल वेतन से अधिक है।

7.14 . यदि पुनर्नियुक्त अर्हक सेवा में है, तो सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पेंशन (नियम 7.13 में उल्लिखित परंतुक के अधीन) को बनाए रख सकता है, इस स्थिति में उसकी पूर्व सेवा को भविष्य की पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा, या अपनी पेंशन का कोई भी हिस्सा लेना बंद कर देगा और अपनी पिछली सेवा की गणना कर सकता है। मध्यवर्ती रूप से प्राप्त पेंशन को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।

7.15 . यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पुनर्नियोजन की तारीख से तीन महीने के भीतर, पेंशन प्राप्त करना बंद करने और अपनी पूर्व सेवा की गणना करने के नियम 7.14 द्वारा दिए गए विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो वह उसके बाद,सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता है।

(10) उपर्युक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी केवल तभी इतनी पेंशन प्राप्त कर सकता है जब उसका प्रारंभिक वेतन और पेंशन सेवानिवृत्ति के समय उसके मूल वेतन से अधिक न हो। इसके अलावा, यदि पिछली सेवा को गिना जाता है, तो पेंशन स्थगित रहती है। यह यह भी दर्शाता है कि यदि तीन महीने में विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बाद में ऐसा नहीं कर सकता है। प्रदान की गई अवधि केवल तभी सेवा के लिए गिनी जाएगी जब व्यक्ति ने पेंशन अर्जित नहीं की है, भुगतान किया गया कोई बोनस या ग्रेच्युटी राज्य सरकार को वापस कर दी जाती है। जाहिर है, प्रत्यर्थी को प्रति माह 1,057 रुपये की पेंशन मिल रही थी। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उन्हें 23,870/- रुपये की डी.सी.आर.जी. (ग्रेच्युटी) प्राप्त हुई।

(11) अब सिविल सेवक के रूप में सेवा करने पर पेंशन के लिए उनकी सैन्य सेवा की पात्रता या गिनती की बात आती है, हमें पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965[पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी कन्सेशन रूल्स, 1965] पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती नियम, 1982 (पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ़ एक्स-सर्विसमैन रूल्स, 1982) पर विचार करना होगा। धारा 2 सैन्य सेवा को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:

परिभाषा: - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति सैन्य सेवा का अर्थ है भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में से किसी एक में नामांकित या कमीशन सेवा (वारंट अधिकारी के रूप में सेवा सहित) जो 26 अक्टूबर, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान प्रदान की गई है या ऐसी अन्य सेवा जो इसके बाद इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के रूप में घोषित की जा सकती है। सैन्य सेवा के बाद सैन्य प्रशिक्षण की किसी भी अवधि को भी सैन्य सेवा के रूप में माना जाएगा। बेशक, प्रत्यर्थी 13.09.1961 से 30.09.1987 तक सेना में था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि 26.10.1962 से 09.01.1968 तक आपातकाल घोषित किया गया था। स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए और आपातकालीन नियम, 1965 के अनुसार, सेवा की गणना केवल तभी की जा सकती है जब व्यक्ति आपातकाल के दौरान शामिल हुआ हो, न कि इससे पहले या बाद में। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी जो सिपाही के रूप में 13.09.1961 को सेना में शामिल हुआ था, पंजाब सरकार के राष्ट्रीय आपातकालीन नियम, 1965 (पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी रूल्स, 1965) के प्रावधानों के लाभों का हकदार नहीं है जब 26.10.1962 को आपातकाल लगाया गया था। दूसरे शब्दों में, वह सिविल सेवक के रूप में

सेवा करने पर अपनी सैन्य सेवा को पेंशन के लिए गिना जाने का हकदार नहीं है, जब उसका मामला सैन्य सेवा की परिभाषा के भीतर नहीं आता है जो आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा है। इसके अलावा, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा सही बताया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी जो पूरे समय सेना से पेंशन का आनंद ले रहा है, वह अपात्र अवधि को देखते हुए राज्य से पेंशन का दावा करने का हकदार नहीं है और उसे दोहरा लाभ नहीं हो सकता है। जहां तक प्रथम प्रत्यर्थी ने 22.09.1994 से 31.01.2002 तक सिविल सेवक के रूप में सेवा प्रदान की है, वह वैधानिक नियमों के विपरीत पेंशन का हकदार नहीं है, जब न्यूनतम अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जो किसी व्यक्ति को पेंशन के लिए पात्र बनाती है। उनके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वह आपातकाल से पहले सेना में शामिल हो गए थे। राम जन्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1994) 2 एससीसी 622 में फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है। इसी तरह की स्थिति में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

12. .....यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कमीशन प्राप्त किए गए ऐसे व्यक्तियों को दिए गए लाभ को सामान्य समय के दौरान शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी दिया जाता है, तो सिविल सेवा के

सदस्य वैध शिकायत कर सकते हैं कि उक्त सेवा में प्रवेश करने के बाद सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों द्वारा उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो रही है, इसके लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। पैरा 13 में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि आपातकाल की घोषणा से पहले या बाद में शामिल होने वाले व्यक्तियों ने स्वेच्छा से देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की थी और नियमों द्वारा वरिष्ठता के मामलों में कोई लाभ देने में भेदभाव का कोई सवाल नहीं था। पैरा 14 में, यह माना गया है:

14 क्या यह कहा जा सकता है कि जो लोग विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के बाद सेना में शामिल हुए थे और जो युद्ध के बाद शामिल हुए थे, वे एक ही पायदान पर खड़े थे? आपातकाल हटाने के बाद सेना में शामिल होने वाले लोग एक कैरियर के रूप में सेना में शामिल हुए। यह सर्वविदित है कि विदेशी आक्रमण के दौरान सेना की सेवा में शामिल होने वाले कई व्यक्ति अन्य कैरियर या सेवा का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन राष्ट्र स्वयं खतरे में था, राष्ट्र की सेवा करने की भावना से प्रेरित होकर, उन्होंने सेना में शामिल होने का विकल्प चुना, जहां तब जोखिम बहुत बड़ा था। कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता है कि ऐसे व्यक्तियों ने स्वयं एक वर्ग का गठन किया और पूर्वोक्त नियमों द्वारा युद्ध से लौटने वालों को मुआवजा देने का प्रयास किया गया है यदि वे

विभिन्न सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे अनुसार, यह दलील कि विदेशी आक्रमण की समाप्ति और आपातकाल को रद्द करने के बाद सेना की सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के साथ भी उन व्यक्तियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए जो विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल के दौरान सेना सेवा में शामिल हुए हैं। हमारे अनुसार, यह दलील कि विदेशी आक्रमण की समाप्ति और आपातकाल को रद्द करने के बाद सेना की सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के साथ भी उन व्यक्तियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए जो विदेशी आक्रमण के कारण आपातकाल के दौरान सेना की सेवा में शामिल हुए हैं, एक निरर्थक दलील है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सेवा में बिताई गई किसी विशेष अवधि को उस सेवा में जोड़ा जाता है जिसमें वह व्यक्ति बाद में शामिल होता है, तो यह उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित करने के लिए बाध्य है जो पहले से ही सेवा में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार, बाद की सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए पूर्व सेवा की किसी भी अवधि को केवल कुछ बहुत ही पुख्ता कारणों से ध्यान में रखा जाना चाहिए जो तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और जांच करने पर मनमानी से मुक्त माना जा सकता है।

(12) राम जनम सिंह के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने चित्तरंजन सिंह चीमा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1997) 11 एससीसी 447 में बाद के फैसले में, उन्हीं नियमों पर विचार करते हुए, अर्थात् पंजाब सरकारी राष्ट्रीय आपात्कालीन (रियायत) नियम, 1965 (पंजाब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी (कन्सेशन) रूल्स, 1965):

4. .....इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि सैन्य सेवा के प्रयोजन के लिए, यह भारतीय सशस्त्र बलों के तीन विंगों में से किसी में नामांकित या कमीशन किया गया अधिकारी होगा और आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान जिन्होंने सेवा प्रदान की थी और ऐसी सैन्य सेवा जो नियम के तहत पात्रता के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उसके बाद घोषित की जा सकती है।

चूंकि अपीलार्थियों को इसके तहत नियुक्त किया जाना था, इसलिए उन्हें सिविल सेवा में वरिष्ठता और परिणामी लाभों के उद्देश्य से सैन्य सेवा की गणना का कोई लाभ नहीं दिया गया है। 1968 के नियम और 1977 के नियमों में उन अधिकारियों को सैन्य सेवा में आरक्षण और परिणामी लाभ देने पर विचार किया गया है जिन्होंने आपातकाल के दौरान सेना में सेवा प्रदान की थी ताकि आपातकाल के समय देश की सेवा के लिए आगे

आने वाले अधिकारी को प्रोत्साहित किया जा सके। निश्चय ही अपीलार्थियों को आपातकाल के दौरान नहीं बल्कि नियमित प्रक्रिया में नियुक्त किया गया था।

(13) इस मामले में, पहले प्रत्यर्थी को सैन्य सेवा में शामिल नहीं किया गया था जब 26.10.1962 को आपातकाल घोषित किया गया था। हमने पहले ही निर्धारित किया है कि सेवा को केवल तभी गिना जा सकता है जब व्यक्ति आपातकाल के दौरान शामिल हुआ हो, न कि इससे पहले। उपर्युक्त मामलों में अनुपात भी उसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। इन सभी सुसंगत सामग्रियों को उच्च न्यायालय द्वारा टाला नहीं गया है और यह केवल देव दत्त के मामले (सुप्रा) का पालन करता है जो तथ्य इस मामले पर लागू नहीं होते हैं।.

(14) उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

के.के.टी

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋचा अग्रवाल (आर.जे.एस.) की सहायता से किया गया है।

यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।